न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

...रीख ...क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज देवी सहाय बनाम राज. सरकार मु.नं.– 23/25 किस्म – धारा 136 LR Act	नम्बर व ... अहकाम जो इस... की तामील में ... हुए

16.01.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र पर विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रा.पत्र पर विद्वान अभिभाषकों की बहस का मनन किया। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
23/2025	27.03.2025	16.01.2026

बउनवान

1. देवी सहाय बैरवा पुत्र श्री प्रभाती बैरवा, निवासी टहलडी, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. नरसी बैरवा पुत्र श्री प्रभाती बैरवा, निवासी टहलडी तहसील मण्डावर, दौसा।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री प्रीतमचन्द सैनी, श्री जे.पी. मीना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खसरा सं. 619 रकबा 0.18 हैक्टे. ग्राम टहलडी, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है जो साबिक खसरा सं. 149 रकबा 15 बिस्वा से बना है। विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता प्रभाती पुत्र पांच्या की खातेदारी की आराजी रही है जिसमें प्रार्थीगण के पिताजी का 1/3 हिस्सा मौजूद जमाबंदी है जो इन्हें विरासत में प्राप्त हुयी थी। खतौनी एकीकरण जमाबंदी संवत 2020 में खाता सं. 32 में प्रार्थीगण के पिता एवं उसके साथ अन्य खातेदारान धनीराम पुत्र पांच्या व भगवाना पुत्र रामजीलाल की जाति चमार दर्ज थी। उसके पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी संवत 2050 से 2069 के खाता सं. 29 के खसरा सं. 149 रकबा 15 बिस्वा में इनकी जाति चमार के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से मीना दर्ज कर दी जबकि भू–प्रबंध विभाग को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के पिता एवं अन्य सहखातेदारान की जाति चमार के स्थान पर मीना कर दी है जो कि गलत है जबकि प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में जाति बैरवा दर्ज है। विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता प्रभाती पुत्र पांच्या की जाति चमार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा प्रार्थीगण के पिता की सही जाति भी चमार (बैरवा) ही है किन्तु राजस्व कर्मचारियों व भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के पिता एवं अन्य सहखातेदारान की जाति चमार (बैरवा) के स्थान पर मीना दर्ज कर दी जिससे प्रार्थीगण के कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है। राजस्व कर्मचारियों व भू–प्रबंध विभाग को इस प्रकार की गलती करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त गलती के बने रहने से प्रार्थीगण को भारी नुकसान हो रहा है तथा प्रार्थीगण के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिये प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता की जाति मीना के स्थान पर बैरवा दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज.

उक्त दुरूस्ती किये जाने से किसी भी सहखातेदार अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना भी नहीं है। उक्त गलत प्रविष्ठि की पूर्व में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी लेकिन प्रार्थीगण अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। उसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय महवा से साबिक अभिलेखों की प्रतिलिपी प्राप्त करने के पश्चात उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व नियमानुसार तलबाना फीस पर पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात एवं फरीकेन न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमानजी को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा सं. 619 रकबा 0.18 हैक्टे. वाके ग्राम टहलडी, तहसील मण्डावर जिला दौसा की खातेदारी में दर्ज जाति मीना को हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर जाति बैरवा दर्ज करने के आदेश करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/1554 दिनांक 04.08.2025 के अनुसार जमाबंदी खसरा सं. 619 धनीराम पुत्र पांच्या हि. 1/3, प्रभाती पुत्र पांच्या हि. 1/3, भगवान पुत्र रामजीलाल हि. 1/3 जाति मीना निवासी ग्राम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। भू–प्रबंध विभाग खतौनी में धनीराम, प्रभाती पिता पांच्या हि. 2/3, भगवान पुत्र रामजीलाल हि. 1/3 जाति मीना निवासी ग्राम अंकन है। एकीकरण खतौनी में धनीराम प्रभाती पि. पांच्या हि. 2/3 हि. ब. भगवाना पुत्र रामजीलाल हि. 1/3 जाति चमार सा. देह खातेदार अंकित है एवं उक्त खातेदारों की जाति बैरवा होना बताया गया है।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण पर मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

136. गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। भूमि एकीकरण खतौनी संवत 2020 में खाता सं. 32 में खसरा सं. 149 पर प्रविष्ठी धनीराम, परभाती पि.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

पांच्या 2/3 हिस्सा व. भगवान पुत्र रामजीलाल 1/3 जाति चमार सा. देह रकबा 15 बिस्वा दर्ज है जबकि भू–प्रबंध खतौनी संवत 2050–2069 खाता सं. 39 में पर्चा सं. 32 में खसरा सं. 619 पर प्रविष्ठि धनीराम, परभाती पि. पांच्या हि. 2/3 भगवान पुत्र रामजीलाल 1/3 जाति मीना रकबा 0.18 हैक्टे. दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल ग्राम टहलडी से स्पष्ट है कि हाल खसरा सं. 619 साबिक खसरा सं. 149 से ही बना है। यह प्रार्थना पत्र परभाती के पुत्रों देवीसहाय तथा नरसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खातेदारों धनीराम, परभाती पिता पांच्या तथा भगवाना पुत्र रामजीलाल की जाति बैरवा होना बताया है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी दुरूस्ती बाबत् त्रुटि भू–प्रबंध खतौनी संवत् 2050–2069 के समय हुई है जिसको दुरस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

5. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम टहलडी, पटवार हल्का उकरून्द, तहसील मण्डावर में खाता संख्या 45 खसरा 619 में दर्ज प्रविष्ठी “प्रभाती पुत्र पांच्या, हिस्सा 1/3 जाति मीना नि. ग्राम खातेदार” को संशोधित किया जाकर “प्रभाती पुत्र पांच्या, हिस्सा 1/3 जाति बैरवा नि. ग्राम खातेदार” किये जाने का तहसीलदार मण्डावर को आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 16.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज